

महत्वपूर्ण एवं खास

जेल जा सकते हैं आडवाणी, जोशी और उमा

बाबरी विध्वंस मामले: सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

नई दिल्ली (आरएनएस)। उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस प्रकरण में सोमवार को लखनऊ की एक अदालत से जानना चाहा कि वह भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती से संबंधित मुकदमे की सुनवाई किस तरह अप्रैल, 2019 की निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरी करना चाहती है।

अगले साल एक अप्रैल से करें मेट्रो की यात्रा

लखनऊ (आरएनएस)। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अमौसी हवाई अड्डे से मुंशी पुलिया तक मेट्रो का काम एक अप्रैल 2019 तक पूरा हो जायेगा और शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक मेट्रो दौड़ने लगेगी। करीब 23 किलोमीटर की इस दूरी को तय करने में मेट्रो को 40 मिनट का समय लगेगा। इस रूट पर 21 मेट्रो स्टेशन बनाये जा रहे हैं। अभी तक लखनऊ मेट्रो केवल चारबाग रेलवे स्टेशन से ट्रांसपोर्ट नगर तक की करीब साढ़े आठ किलोमीटर की दूरी ही तय करती है।

पत्नी की हत्या कर सिर लेकर पहुंचा पुलिस स्टेशन

बैंगलूरु (आरएनएस)। कर्नाटक के चिकमंगलूर से एक दिल दहला देने वाला वाक्या सामने आया है। यहां एक पति ने न सिर्फ अपनी पत्नी की हत्या कर दी बल्कि हत्यानियत का परिचय देते हुए पत्नी के सिर के साथ वह मुस्कराते हुए पुलिस स्टेशन जा पहुंचा। पुलिस के सामने उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसे देखने वाले लोग सकते में रह गए।

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह 18 सितम्बर को आवेंगे धरमजयगढ़

रायगढ़। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह प्रदेश व्यापी अटल विकास यात्रा में शामिल होने के लिए 18 सितम्बर को दोपहर 1.15 बजे रायगढ़ जिले के विधानसभा क्षेत्र धरमजयगढ़ आवेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. सिंह धरमजयगढ़ में दोपहर 1.15 बजे से दोपहर 2.15 बजे तक आमसभा कार्यक्रम में शामिल होंगे एवं अपराह्न 3.15 बजे धरमजयगढ़ से विधानसभा क्षेत्र बैकुण्ठपुर के ग्राम रनई के लिए प्रस्थान करेंगे।

कलेक्टर के अनुमति बिना अवकाश पर नहीं जायेंगे अधिकारी-कर्मचारी

रायगढ़। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती शम्मी आबिदी ने विधानसभा निर्वाचन 2018 को ध्यान में रखते हुए जिले के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि कलेक्टर के बिना अनुमति अवकाश पर नहीं जायेंगे एवं न ही मुख्यालय छोड़ेंगे। ज्ञातव्य है कि कलेक्टर द्वारा पूर्व स्वीकृत के बिना अवकाश पर प्रतिबंध लगाया गया है। परंतु कई कार्यालयों के विभाग प्रमुखों द्वारा अपने विभागाध्यक्ष से सीधे अवकाश स्वीकृत करवाकर अवकाश पर प्रस्थान किए जाने का आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है। जो जारी आदेश की अवहेलना है। अतएव समस्त अधिकारी-कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि किसी भी परिस्थिति में अपने विभागाध्यक्ष अथवा उच्च अधिकारी से अवकाश स्वीकृत नहीं करायेंगे।

दूसरे के बी.पी.एल. नम्बर पर दे दिया इंदिरा आवास

न्याय साक्षी/रायगढ़।


शासन की योजनाओं को गरीबों के नाम हेतु चलाने का दावा करने वाले ही जब किसी गरीब का हक मारकर उसे किसी सबल को देने का काम करने लगे तो बेहद तकलीफ का विषय बनता है, रायगढ़ से लगे सरिया में हुए इस प्रकरण में भी यही हुआ है, जिसके बारे में शासन से शासन से मान्यता प्राप्त संस्था सामाजिक न्याय संघ में लिखित में शिकायत की गई है।

अपने आवेदन में कहा है कि, मैं राजकुमार अग्रवाल आ. बनारसी दास, उम्र 44 वर्ष लगभग, निवासी ग्राम बोदा, पो. बोदा, थाना सरिया, तहसील बरमकेला, रायगढ़, जिला रायगढ़, छ.ग., मो.नं. 96301XXXX का होकर के कहा कि, मैं उक्त ग्राम बोदा में रहता हूँ, और ट्रांसपोर्टिंग का काम करता हूँ, पिछले दिनों दिनांक 20/03/2018 के एक समाचारपत्र में छपी खबर "दूसरे के बी.पी.एल. नम्बर पर दे दिया इंदिरा आवास" से सम्बंधित खबर मेरे द्वारा पढ़ी गई, जिससे प्रेरित होकर मेरे द्वारा उक्त सम्बंध में जांच-पड़ताल की गई। कहा कि, मेरे द्वारा पाया गया कि कार्तिकराम जो कि मेरे ग्राम बोदा के पास के ग्राम नौघटा का रहने वाला है, के द्वारा अपनी पत्नी जम्बोवती के नाम से 2016 में फर्जी तरीके से इंदिरा आवास शासकीय योजना, जो कि गरीबी रेखा के नीचे



राजकुमार अग्रवाल

सामाजिक न्याय संघ को दिया गया आवेदन



गवाह-1



गवाह-2

रहने वालों हेतु है, का लाभ लिया जाकर मकान बनाया जा चुका है जो कि पूर्णतः फर्जी है। अपने आवेदन में कहा कि, उक्त सम्बंध में ग्राम नौघटा के "दिवाकर पटेल" ने एक लिखित शिकायत कलेक्टर रायगढ़, पुलिस अधीक्षक रायगढ़, जिला पंचायत सी.ई.ओ. रायगढ़, के साथ विधायक को भी एक-एक प्रति दी गई थीं, जिसपर कार्यवाही पूर्व ही लेन-देन से समझौता किया जाकर, प्रकरण समाप्त कर दिया गया जो कि न्यायोचित नहीं है, क्योंकि प्रकरण कार्यवाही योग्य है। साथ ही यह भी कहा कि, ग्राम नौघटा के उक्त

सम्बंध में लाभार्थियों की सूची के अनुसार क्रमांक 8 में जम्बोवती पति कार्तिकराम का नाम लेख है। गौर तलब है कि, कि साथ में गरीबी रेखा सर्वे क्रमांक 1206 एवं अर्जित गुणांक 7 लेख है, जो कि मूलतः "इंद्रजीत पिता मनी" के नाम से है। जिससे प्रकरण प्रमाणित है कि फर्जी तरीके से शासकीय योजना को लाभ लिया गया है, जो कि कार्यवाही किए जाने योग्य है। जिसपर जानकारी होने के बाद भी कार्यवाही का नहीं किया जाना शासकीय कर्मचारियों के सलित होने को दर्शाता है, सभी के

विरुद्ध नियमानुसार आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया जाना चाहिए।

यह भी कहा कि, ये "कार्तिकराम" के द्वारा मेरे वाहन क्रमांक सी.जी. 10 एम 0240 विरुद्ध भी एक मोटर-दावा अपने पुत्र "विष्णु मांझी" एवं अपने साले "नागेश्वर मांझी" की वाहन दुर्घटना में मृत्यु वास्ते लाया गया है, जबकि पुलिस जांच में मेरे वाहन से उक्त दुर्घटना होना प्रमाणित नहीं पाया गया है, मेरे द्वारा उक्त आधारों पर माननीय न्यायालय के समक्ष रक्षा ली गई है, और उक्त सम्बंध में समस्त दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं।

अपने आवेदन में कहा कि, उक्त समस्त बातों और फर्जी रूप से फंसाए जाने से मैं और मेरा परिवार बेहद कष्ट में है, मुझे अन्यथा परेशान किया जा रहा है, अतः इस सम्बंध में मैं न्यायालयीन कार्यवाही भी चाहता हूँ, जिसके लिए मैं अलग से माननीय न्यायालय के समक्ष आवेदन करना चाहता हूँ।

कहा कि, मैं उक्तानुसार प्रताड़ित हो रहा हूँ, जिससे मुझे बेहद मानसिक कष्ट हो रहा है, अतः यह आवेदन मय गवाहानु न्याय हेतु आपके समक्ष सामाजिक न्याय संघ में मय शपथ-पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ, ताकि न्याय प्राप्ति हो सके।

सामाजिक न्याय संघ ने लिया संज्ञान

सामाजिक न्याय संघ ने तत्काल उक्त सम्बंध में संज्ञान लेते हुए आवेदन को श्रीमान् राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सी.ई.ओ. जिला पंचायत, थाना प्रभारी, थाना सरिया को भेजा है, जिसपर तत्काल कार्यवाही किए जाने हेतु आशा व्यक्त की गई है।

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की एक समय में विदेश यात्रा पर सवाल

नई दिल्ली (आरएनएस)। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति वैकैया नायडू 7 से 9 सितंबर तक विदेश दौर पर थे, उनकी यात्रा को लेकर अब विदेश मंत्रालय में राजनयिक कैलेंडर की अनदेखी का मामला उठा है। दरअसल परंपरा के मुताबिक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों महामहिमों में से कोई एक ही विदेश दौर पर जा सकता है और एक पीछे से कामकाज को देखता है। लेकिन इस बार दोनों महामहिम एकसाथ देश से बाहर थे। विदेश मंत्रालय ने इस मामले में अनदेखी कैसे कर दी इस पर भी सवाल खड़े हो रहे क्योंकि ऐसे दौरों का कार्यक्रम यही मंत्रालय देखता है। किसी आकस्मिक परिस्थिति की संभावना के मद्देनजर ऐसा प्रोटोकॉल तैयार किया गया है कि दोनों महामहिम एकसाथ विदेशी दौर पर न हो और इसका ध्यान विदेश मंत्रालय ही रखता है।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति कोविंद अपनी तीन देशों की सात दिवसीय यात्रा पूरी कर रविवार रात को स्वदेश लौट आए तो वहीं उप राष्ट्रपति नायडू शिकागो की यात्रा पर हैं, जहां वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा आयोजित विश्व हिंदू कांग्रेस के आयोजन में हिस्सा ले रहे हैं। वहीं इस मामले में विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रपति मध्य एशिया के तीन देशों साइप्रस, बुल्गारिया और चेक रिपब्लिक के राजकीय दौर पर थे। लेकिन उपराष्ट्रपति की शिकागो यात्रा राजकीय नहीं थी और न ही अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस की ओर से उनको कोई औपचारिक निमंत्रण नहीं भेजा गया था। अधिकारी यह भी बताने में असमर्थ रहे कि क्या शिकागो यात्रा के लिए संघ या भाजपा ने उपराष्ट्रपति को निमंत्रण भेजा था और क्या विदेश मंत्रालय को इस यात्रा की जानकारी थी।



2.25 लाख कंपनियों को कारण बताओ नोटिस कागजी फर्मा पर गिरेगी गाज

नई दिल्ली (आरएनएस)। कंपनी मामलों के मंत्रालय ने मुखौटा कंपनीयों की अगली खेप का पंजीकरण रद्द करना शुरू कर दिया है। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि 2.25 लाख कंपनियों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया था। इनमें से 70,000 का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है और अन्य एक लाख कंपनियों का पंजीकरण जल्दी ही रद्द कर दिया जाएगा।

मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार इससे पहले सरकार ने पहली सूची में शामिल 3 लाख सदृश मुखौटा कंपनियों का पंजीकरण रद्द कर दिया था। इन कंपनियों का नाम कंपनी रजिस्ट्रार की सूची से हटा दिया गया था, उनके बैंक खाते जन्त कर लिए गए थे और मंत्रालय ने उनके लेनदेन की जांच शुरू कर दी थी। इसके अलावा मंत्रालय गायब हो चुकी कंपनियों की भी तलाश कर रहा है।

CAREER SCHOOL
 ENGLISH MEDIUM
 For Nuresery to 10th
 Admission Open
 1 गुलाई 1996
 पिछले 22 वर्षों से लगातार बच्चों के साथ...

Tanu 90%	Yamul 98%
Shubha 93%	Priyanka 96%
Priya 84%	Himansu 99%
Alanksha 90%	Geemjalli 99%
Chetan 94%	Arpit 93%
Arpit 98%	Raksh 97%
Sejal 88%	Shiva 97%

Major Facts
 1/ Well Qualified Teachers...
 2/ A perfect ratio of Teachers and Students regarding classes...
 3/ Complete Caring Atmosphere...
 4/ Good and Equipped Class rooms...
 5/ Value based education like daily classes for Logical Maths, G.K., English Grammar...
 6/ CCTV equipped School...
 7/ Scientific and Cultural Activities Every Saturday...
 8/ And above all Attention on Each and Every Student of the School...

CAREER SCHOOL
 ENGLISH MEDIUM
 BEHIND STADIUM STREET
 RAIGARH C. G.
 07762-221359

नवीन पटनायक ने पूर्व मंत्री दामोदर राउत को किया सस्पेंड

भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल (बीजेडी) के अध्यक्ष नवीन पटनायक ने पारादीप के विधायक और पूर्व मंत्री दामोदर राउत को पार्टी से निष्कासित कर दिया। मंगलवार को बीजेडी के कार्यकर्ता पटनायक से उनके घर पर मिले और राउत के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की मांग से जुड़ा आवेदन दिया। पार्टी के सचिव बिजय नायक ने एक बयान में कहा कि बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक के आदेश के अनुरूप पारादीप के विधायक को निष्कासित कर दिया गया. बता दें कि दामोदर राउत को मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का नजदीकी माना जाता है. राउत पर उड़ीसा राज्य सहकारी दूध उत्पादक संघ (ओएम एफडी) में 30 करोड़ रुपये और ओडिशा राज्य सहकारी बैंक में 700 करोड़ रुपये के घोटाले के वित्तीय दुरुपयोग करने का आरोप है. इसके अलावा, राउत पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत पैसे लगाने के लिए 100 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का भी आरोप है. उन पर पार्टी विरोधी वक्तव्य देने का भी आरोप लगा हुआ है. मलकांगिरी के एक समारोह में ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी करने को लेकर दिसंबर 2017 में सात बार विधायक रहे राउत को कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया गया था.



तत्काल आवश्यकता है
 न्यायसाक्षी समाचार-पत्र हेतु कम्प्यूटर ऑपरेटर, सर्वे करने के लिए, बंडल कार्य हेतु, एवं रिपोर्टर/संवाददाता रायगढ़ एवं जशपुर जिले के लिए तत्काल चाहिए ... संपर्क करें...
 न्यायसाक्षी समाचार-पत्र स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9039961090
ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज पेपर प्रिंटिंग
 वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन "हेडलबर्ग" से 4 कलर की सभी तरह की प्रिंटिंग होती है। प्रिंटिंग जाँब हेतु संपर्क करें...
 न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र की खरसिया, सारंगढ़, पुसौर, तमनार, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पथलगांव लुडेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें।
 स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग. संपर्क करें मो. नं. 9039961090